न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
021/2025(रे.वि.) (GCMS 2025/155)	10.07.2025	09.09.2025

अनवान

1. गणपतलाल पिता सालगराम पाराशर जाति पाराशर उम्र वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. मनोहरलाल पिता श्यामलाल पाराशर जाति पाराशर उम्र वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अंजू शर्मा, उपखण्ड अधिकारी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. भुवनेश पिता गणपतलाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी घाणेराव तहसील देसुरी जिला पाली हाल मुकाम दुर्गादास नगर पाली जिला पाली।
3. भूमिधारी तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. भैरूलाल पिता बंशीलाल पाराशर जाति पाराशर उम्र वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. सत्यनारायण पिता बंशीलाल पाराशर जाति पाराशर उम्र वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. भैरूलाल पिता नन्दलाल पाराशर जाति पाराशर उम्र वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. अर्जुनलाल पिता नन्दलाल पाराशर जाति पाराशर उम्र वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. गोपाल पिता सालगराम पाराशर जाति पाराशर उम्र वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
9. जगदीश पिता सालगराम पाराशर जाति पाराशर उम्र वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	आरएस चौहान (**अनुपस्थित वक्स बहस**)	प्रार्थीगण
	छोगालाल जाट	अप्रार्थी संख्या 2
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी 3
	अनुपस्थित	अप्रार्थी संख्या 4 से 9

प्रार्थना–पत्र रेवेन्यू अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् मुंतकीली प्रकरण सहायक कलक्टर राशमी जिला चित्तौड़गढ़ बमामले प्रकरण संख्या 053/2019 रेवेन्यू वाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.06.2025

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 4 से 9 द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए का सहायक कलक्टर न्यायालय राशमी में विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध पेश कर रखा है जो प्रकरण संख्या 053/2019 रेवेन्यू वाद पर दर्ज होकर आगामी पेशी दिनांक 30.06.2025 की नियत है, उक्त प्रकरण में वादीगणों को सहायक कलक्टर न्यायालय राशमी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है जिससे प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं प्रकरण में अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त किये जाने हेतु लिखा गया। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी राशमी से जरिये ई–मेल पत्रांक/सरिश्ता/5–13( )2025/795 दिनांक 25.07.2025 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई है जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 22.07.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में दिनांक 30.07.2025 व 26.08.2025 को अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 09.09.2025 को भी अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी 3 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। प्रकरण में बहस अप्रार्थीगण सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 अपनी बहस पत्रावली में जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि न्यायालय जिसमें सभी पक्ष निर्णय होने तक न्याय की उम्मीद रखते है। उक्त पत्रावली वर्तमान में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही व निर्णय नहीं होते हुए प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अनावश्यक लम्बा करने की नियत से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण/वादीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 151 पर कोई सुनवाई नहीं कर प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार करने पर आमादा है, पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में उभयपक्षों की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 151 जा0दी0 व प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर बहस सुनी जाकर उक्त पत्रावली को निर्णय हेतु नियत की गई है जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा दोनों ही प्रार्थना–पत्र का निर्णय किया जाना अपेक्षित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर पत्रावली का निर्णय नहीं कराने की भावना से मुंतकिली प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो निरस्त योग्य है। वादीगण/प्रार्थीगण ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गलत तथ्यों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी पर लांछन लगाने हुए मुंतकीली आवेदन किया है जो निरस्त योग्य है।

इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका प्रकरण संख्या 053/2019 का अवलोकन कराया एवं बताया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किये जाने के लगातार प्रयास किये जा रहे। अप्रार्थी संख्या 2 (मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 1) की और से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी दिनांक 11.03.2020 को पेश किया गया है, जो कि आज दिनांक तक लंबित है। इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र उठाये गये तथ्यों के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र मात्र काल्पनिक एवं आधारहीन एवं गलत होकर अस्वीकार योग्य है। केवल मात्र प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रकरण निस्तारण में विलम्ब हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में उठाये गये तथ्यों एवं आधार मूल वाद संख्या 053/2019 की आदेशिका के अवलोकन किये जाने मात्र से असत्य प्रकट होते है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार प्रकरण में कोई जल्दबाजी किये जाने का प्रयास नहीं किया गया है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 की न्याय के सिद्धान्तो में पूर्ण आस्था है जिससे अप्रार्थी संख्या 2 को न्यायालय से पूर्ण न्याय प्राप्त होने की आशा है। प्रार्थना–पत्र बाबत् मूल वाद को मुंतकिल किये जाने का सारहीन होने से खारीज किया जावें, इसके साथ ही विकल्प में निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान् वाद को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने का आदेश प्रदान करता है तो अप्रार्थी संख्या 2 को किसी प्रकार को कोई एतराज/उज्र नहीं है। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में उपखण्ड अधिकारी राशमी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन कराया एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया किया गया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा किसी भी प्रकार से कोई पक्षपात किये बिना विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है, एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित किये जाने की ईश्तदुआ की।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण लगातार अनुपस्थित चल रहे एवं प्रकरण वास्ते तलबी नियत है, प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 से 9 तक की तलबी होना शेष है जो कि मूल संख्या 053/2019 के वादी संख्या क्रमश 1, 2, 4, 5, 7 व 8 है। प्रकरण में प्रार्थना–पत्र बाबत् प्रकरण दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु मूल वाद के वादी संख्या 3 व 6 द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, किन्तु हस्तगत प्रकरण के प्रार्थी संख्या 1 व 2 जो कि मूल वाद के वादी संख्या 3 व 6 के प्रकरण में निहित हित हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 4 से 9 तक के समान की होकर एक ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 4 से 9 तक की अनुपस्थिति तलबी कण्डोन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में मुख्य तथ्य यह उठाया गया है,

पीठासीन अधिकारी द्वारा मूल वादपत्र में कार्यवाही को अंजाम नही देकर केवल प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 एवं आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के आवेदन पत्र पर ही बहस सुनकर प्रकरण का निस्तारण कराने पर आमादा है। इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि प्रकरण में विभिन्न प्रार्थना–पत्र पक्षकारान द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते है जिनका नियमानुसार निस्तारण न्यायालय द्वारा किये जाने बाबत् विधि के आज्ञापक प्रावधान प्रावधित है। इसके साथ ही पत्रावली पर प्रस्तुत मूल वाद की आदेशिकाओं के अवलोकन से पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई विशेष रूचि होना परिलक्षित नहीं होती है। इसके साथ ही उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा प्रेषित टिप्पणी में उक्त वाद पत्र एवं इसी आराजीयात के अन्य वादपत्रों को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं होना जाहिर किया गया है। जहां तक प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में बैठकर गुप्तगू करने एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र का निर्णय प्रार्थीगण के खिलाफ निर्णित करने का पूर्ण मानस का प्रश्न उठाया गया है। यह तथ्य ठोस साक्ष्य का मोहताज है, एवं पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से उठाये गये तथ्यों की पुष्ठि नहीं होती है। इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं उठाया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने की आवश्यकता महसूस होती है, बल्कि हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण लगातार अनुपस्थित रहे है जिसका आशय भी यही है कि प्रार्थीगण प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित करने का प्रयास कर रहे है, जो कि उचित नहीं है, ऐसी स्थिति प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र गुणावगुण पर बलहीन है, किन्तु प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा प्रेषित टिप्पणी में उक्त वाद पत्र को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं होना जाहिर किया गया है एवं हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 2 जो कि मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 1 है द्वारा भी प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना मौखिक तौर जाहिर किया गया है, जबकि प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किये जाने की स्थिति में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण (**मूल वाद के वादीगण वादी संख्या 1 से 8 तक**) को नुकसान का आशंका सदैव रहेगी, ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी में विचाराधीन उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 जा0दी0 प्रार्थना–पत्र बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी के प्रकरण संख्या 053/2019 (रे.वा.) अनवानी भैरूलाल पिता बंशीलाल पाराशर निवासी आरणी तहसील राशमी जिल चित्तौड़गढ़ वगैराह बनाम भुवनेश पिता गणपतलाल ब्राहम्ण निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली वगैराह दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को दीगर न्यायालय में मुंतकिल/स्थान्तरित हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी में विचाराधीन उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन को सुनवाई हेतु प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत् सूचित करते हुये प्रकरण का समुचित परीक्षण कर बाद विचारण निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी एवं कपासन को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **09.09.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official